60

20रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , बेन्च रीवा जिला रीवा म.प्र.

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
विलोपित / विलोपित

2228

R-2228-III/17

शत्रुघ्न प्रसाद नामदेव पिताश्री रामगरीब नामदेव उम्र 40 साल पेशा सिलाई, निवासी ग्राम इटार हाल निवासी डढवा, तहसील व थाना गुढ, जिला रीवा ﴾ म0 प्र0 ﴿ ------------ आवेदक

व नाम

रामपियारे ब्रा0 तनय स्व. श्री बैजनाथ ब्रा0 निवासी ग्राम इटार थाना व तहसील गुढ, जिला रीवा म.प्र. ------------ अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रनारायण पटेल एड. द्वारा पेश 14-7-17

14-7-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान् नायब तहसीलदार महोदय, तहसील गुढ, के प्र.क्र. 93/अ-12/2015 - 2016 के आदेश दिनांक- 24 8 2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ईसवी.

महोदय,

आधार आवेदन पत्र निम्न है :-

1:- यह कि अनावेदक ने ग्राम इटार राजस्व निरीक्षक दुआरी तहसील गुढ, जिला रीवा ने दिनांक- 23 6 2016 को ग्राम इटार की आराजी ख.क्र. 316/2, 319/1, 452/5 , आराजियों का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र लगाया तथा सरहद्दी काश्तकार मे प्रार्थी को कही भी लेख नही किया, जबकि प्रार्थी 452/1/1/1/2 0.004 हे0 एवं 452/1/2 रकबा 0.008 हे, एवं 452/4 रकबा 0.008 हे0, का रजिस्टर्ड भूमि स्वामी है, तथा 452/5 जो आवेदक की आराजी है उसी से लगी आराजियाते अनावेदक की है, क्योंकि 452 की

शत्रुघ्न

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2228–तीन/2017 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी नायव तहसीलदार, गुढ जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 93 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–8–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कं–1 के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा गेरूआर स्थित भूमि सर्वे कमांक 316/2, 319/1, 452/5 का हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 28–7–16 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर नायव तहसीलदार ने सीमांकन आदेश दिनांक 24–8–16 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है, माने जाने योग्य नहीं है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव नायव तहसीलदार, गुढ जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 93 अ–12/2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–8–2016 यथावत् रखा जाता है। सेदस्ख–	